

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1758
03.08.2026 को उत्तर देने के लिए

भारतीय सांख्यिकी संस्थान में संकाय पदों पर दिव्यांगजन (पीडब्लूडी) की भर्ती

1758. डा. जॉन ब्रिटिस:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020-2025 के दौरान भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) में सहायक प्राध्यापक स्तर तथा उससे ऊपर के संकाय पदों की भर्ती में सामान्य-दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत कितने पद भरे गए;

(ख) वर्ष 2020-2025 के दौरान सामान्य-दिव्यांगजन श्रेणियों के अंतर्गत आयुक्त दिव्यांगजन के निर्देशों के अनुपालन में कितनी नियुक्तियाँ की गई;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2020-2025 के दौरान संकाय भर्ती में कितने सामान्य-दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किये गये;

(ङ) आईएसआई की सभी इकाइयों में वरिष्ठता, अनुभव तथा समान अवसर के आधार पर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने भर्ती विज्ञापन थे जिनमें दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), कोलकाता में वर्ष 2020-2025 के दौरान सहायक प्रोफेसर एवं उससे ऊपर के स्तर पर सामान्य-दिव्यांगजन श्रेणी के तहत भरे गए संकाय पदों की संख्या शून्य है।

(ग) सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों हेतु निर्धारित मानदंडों के आधार पर अभ्यर्थी के मूल्यांकन के उपरान्त आईएसआई में संकाय भर्ती संस्थान के भर्ती दिशानिर्देशों के संदर्भ में की जाती है।

(घ) से (च) दिव्यांगजन अभ्यर्थी की भर्ती के लिए संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करता है। आवेदन किए गए पद के लिए पात्रता का मूल्यांकन भर्ती दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर सभी अभ्यर्थियों के लिए किया जाता है। वर्ष 2020-2025 के दौरान, कुल 15 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा आईएसआई के तीन संकाय भर्ती विज्ञापनों हेतु आवेदन किया गया; इन सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया गया। तथापि, निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर, एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।